<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 29/2021/जिला टोंक

कन्हैयालाल पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेंदरी गूजरान पंचायत मोहम्मदपुरा, तहसील उनियारा जिला टोंक।

................अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महोदय सोप जिला टोंक।

................रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर टोंक दिनांक 24.03.2021 जो अपील संख्या 53/2019 बउनवानी रामफूल बनाम सरकार में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0ः–श्री गिरीश शर्मा(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक (राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–30.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सोप जिला टोंक द्वारा रामफूल, कन्हैया पुत्र केसरलाल गुर्जर निवासी सेंदरी गूजरान तहसील उनियारा को राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी मानते हुए ग्राम कोटड़ी के खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 गैर मुमकीन सड़क पर मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लेने से इनके विरूद्ध विवादित खसरा नम्बर से बेदखल करने पैनाल्टी वसूलने और धारा 91(3) के तहत तीन महिने के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। नायब तहसीलदार ने अपने निर्णय प्रकरण संख्या 74/2019 दिनांक 20.06.2019 में उक्त आदेश जारी किया था तथा पुख्ता निर्माण को ध्वस्त करने के लिए जिला कलक्टर टोंक को पत्र लिखने की बात कही है।

नायब तहसीलदार सोप के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक में अपील दर्ज करवायी गई। जिसे 53/2019 नम्बर पर दर्ज किया गया। जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 24.03.2021 को निर्णय करते हुए नायब तहसीलदार सोप के निर्णय को यथावत रखा। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है–

1. नायब तहसीलदार द्वारा दो व्यक्तियों विरूद्ध संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। जो त्रुटिपूर्ण है।

2. अपीलांटस की परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रोपर [illegible] आदेश 5 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार नहीं करवायी गई तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

3. अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा तैयार एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। जबकि अपीलांट के रास्ते की भूमि पर एक इंच भी कब्जा नहीं है। पटवारी रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त रिपोर्ट भी अपीलांट की अनुपस्थिति में बनायी गई है।

4. खसरा नम्बर 249 का बहुत बड़ा रकबा है जिस पर गांव के अन्य व्यक्ति भी मकान बनाकर निवास कर रहे है। अपीलांट द्वारा 20 वर्षों से मकान बनाकर परिवार सहित निवास किया जा रहा है। सरकार द्वारा भी कब्जों का नियमन, आवंटन करने के निर्देश किये हुये है। अंत में निवेदन किया कि अपील स्वीकार करते हुए दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जायें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर रिकोर्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 19.04.2021 से दिनांक 08.06.2021 तक लॉकडाउन की वजह से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया। विलम्ब को क्षमा किया जाये। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 15.06.2021 को न्यायालय के रीडर को प्रस्तुत करना पाया जाता है। लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर मियाद मानते हुए देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। गैर कानूनी आदेश की आड़ में राजस्व कर्मचारी कब्जेकाश्त से उसे बेदखल करवाने तथा पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करने पर उसे आमादा है। यदि ये अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलाधीन निर्णय की पालना एवं सिविल कारावास की सजा को स्थगित रखा जाने का आदेश दिया जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में बताये बिन्दुओं को ही बहस में उठाया तथा यह कहा कि दो व्यक्तियों के विरूद्ध एक ही नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। दोनों के विरूद्ध पृथक–पृथक कार्यवाही होनी चाहिए। जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में अपील के दौरान रामफूल का देहांत हो चुका है। आदेश 22 नियम 3,4 एलआरएक्ट की प्रोसिडिंग में लागू नहीं होते है। बहस में राजकीय अभिभाषक ने बताया कि निर्णय विधिवत दिया हुआ है। मौके पर मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट का टाइटल नहीं है। अपील खारिज की जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार सोप प्रकरण संख्या 74/2019 दिनांक 20.06.2019 की प्रोसिंडिंग और निर्णय तथा इसे संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायालय प्रोसिडिंग का अवलोकन किया गया। दिनांक 04.06.2019 को अतिक्रमी को अनुपस्थित बताया गया। दिनांक 20.06.2019 को भी अतिक्रमी को अनुपस्थित बताया गया और निर्णय सुना दिया गया। पटवारी रिपोर्ट का [illegible] किया। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर कोई दिनांक अंकित नहीं है तथा अपीलांट रामफूल [illegible] कन्हैया पिता केसरलाल गुर्जर साकिनदेह सेंदरी गूजरान को संवत 2076 हेतु खसरा नम्बर 249 में जिसका रकबा 0.85 हे0 बताया है मे से 0.01 हे0 भूमि पर [illegible] बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा पश्चातवृति अतिक्रमी बताया है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर 74/2019 दर्ज कर दिनांक 27.05.2019 को प्रथम नोटिस अपीलांटस को जारी कर दिनांक 04.06.2019 को न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित होने हेतु कहा। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर कन्हैयालाल के हस्ताक्षर जान पड़ते है। तामील कुनिन्दा मोहन दर्ज किया हुआ है। उक्त नोटिस में रामफूल को तामील नहीं हुई है। दूसरा नोटिस दिनांक 09.06.2019 को जारी किया हुआ है तथा दिनांक 20.06.2019 को उपस्थित होने हेतु कहा गया। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर कन्हैयालाल दर्ज है तथा बाद तामील मोहन दर्ज है। उक्त नोटिस मे भी रामफूल को तामील नहीं होना पाया जाता है। बयान पटवारी पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। उक्त बयान में पटवारी ने बताया कि उसने खसरा नम्बर पर गस्त मौके पर जाकर की है। मगर उक्त गस्त किस दिन की है इसमें बयान में भी नहीं बताया है। पटवारी ने अपने बयान में अपीलांट अतिक्रमी को पश्चातवृति अतिक्रमी बताया है तथा भूमि को सार्वजनिक हित की बताया है। नायब तहसीलदार सोप के निर्णय को देखा गया। उनके निर्णय में अतिक्रमी को पूर्व प्रकरण संख्या 1309/12 के निर्णय दिनांक 15.05.2012 में भी बेदखल करना बताया है। जबकि अपीलांट के अनुसार वह बीस वर्ष से उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है। मगर नायब तहसीलदार द्वारा यह जांच नहीं की गई कि क्या उस समय दिनांक 15.05.2012 के निर्णय के बाद अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया अथवा नहीं। बेदखली से संबंधित कोई मौका पर्चा नहीं पाया गया। ऐंसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट को भौतिक रूप से पूर्व निर्णित प्रकरण 1309/12 निर्णय दिनांक 15.05.2012 में बेदखल नहीं किया गया है तथा इन्हे गलत रूप से पश्चातवृति अतिक्रमी बताया गया है। यह बात प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भी नही देखी गई।

एलआरएक्ट की धारा 91 का अवलोकन किया गया। उक्त धारा में अतिक्रमी के विरूद्ध किस प्रकार प्रोसिडिंग आरम्भ की जायेगी। इस बाबत विवरण दिया हुआ है। इसके अनुसार अतिक्रमी को नाटिस दिया जाना अति आवश्यक है। उक्त नोटिस एल आर एक्ट की धारा 60 के तहत दिया जायेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी नोटिस जॉइंट नोटिस के रूप में जारी नहीं किया जायेगा अर्थात दो व्यक्तियों को एक ही नोटिस के द्वारा नहीं बुलाया जायेगा तथा एक व्यक्ति पर ऐसे जॉइंट नोटिस की तामील को अन्य व्यक्ति पर तामील नहीं मानी जायेगी। स्टेट वर्सेज बाउसी 1977 आरआरडी पेज 591, स्टेट वर्सेज मेनांग 1976 आरआरडी 1977, मांगीलाल वर्सेज स्टेट 1982 आरआरडी 151 में उक्त न्यायिक दृष्टांत से निर्देशित किया हुआ है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप के निर्णित प्रकरण में रामफूल को कोई तामील नहीं हुई है। स्टेट वर्सेज बंशी 1977 आरआरडी 51 के अनुसार नोटिस सभी अतिक्रमीयों को पृथक–पृथक भिजवाया जायेगा। अगर वह भाई भी है तो भी अलग से नोटिस भेजा जायेगा। रामफूल के विरूद्ध कोई एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना भी न्यायालय की प्रोसिडिंग और निर्णय से स्पष्ट नहीं होता है।

नायब तहसीलदार मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर और कोई स्वतंत्र गवाह करवाये बिना यह मान लिया कि अपीलांट अतिक्रमी है जो उचित नहीं है। पटवारी का क्रॉस एक्जामिनेशन आवश्यक है। पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पर किसी अन्य स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही करवाये गये तथा ना ही उसके द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार, किस विधि से मापजोख कर उसने यह माना कि अपीलांट अतिक्रमी है। जब अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि उसका एक इंच भी विवादित खसरा नम्बर पर कब्जा नहीं है। तो उसके बाद उचित इन्क्वायरी कर तथ्य जुटाये जाने थे जो नहीं जुटाये गये। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। पूर्व न्यायिक दृष्टांत में दिये गये निर्देश के भी विरूद्ध है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार सोप प्रकरण संख्या 74/2019 दिनांक 20.06.2019 तथा अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 53/2019 निर्णय दिनांक 24.03.2021 को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested